

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, घनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एगो आरो केश नं०— 109 / 2022-23

—:आदेशः—

31.03.23 अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक— 208, दिनांक— 22.02.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक गंगाधर दास, पिता— स्व0 दुखन दास, साकिम— वेस्ट मोदीडीह कोलियरी, दुर्गा मंदिर के पास, थाना— तेतुलमारी, जिला— धनबाद अपनी जमीन मौजा— बेहराकुदर, मौजा नं0— 117, पुराना खाता नं0— 39, पुराना प्लॉट नं0— 63, नया खाता नं0— 109, नया प्लॉट सं0— 53, रकवा— 05 डिसमील भूमि क्रेता करण कुमार दास, पिता— स्व0 नेपाली दास, साकिम— वेस्ट मोदीडीह कोलियरी, दुर्गा मंदिर के पास, थाना— तेतुलमारी, जिला— धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के चमार है तथा विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना— तेतुलमारी, जिला— धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 35 डिसमील भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

गयी है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति अंचल अधिकारी एवं उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
धनबाद।

दर पर का जाता है।